7/P

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल
राष्ट्रीय लोक अदालत

सिविल प्रकरण संख्या 42/16 तारीख रजू 21/10/2016

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. हनुमान राव पुत्र प्रहलाद राव उम्र 40 वर्ष जाति राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर । – अप्रार्थी (अभियुक्त)

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांकः 11/02/17

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18/05/2016 को 03.30 पी.एम. पर मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के यहां पहुंचा। वहां पर हनुमान राव पुत्र प्रहलाद राव उम्र 40 वर्ष जाति राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तत्पश्चात् दुकान व गोदाम का निरीक्षण किया ।वहां आम जनता को विक्रय के लिए बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू रखें हुए थे। जिनके मानक स्तर का नहीं होने पर शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली तथा प्रावधानों में विहित विधिक प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना करते हुए एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवम् दो प्रति फार्म नम्बर 6 भी अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द्र सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की । आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्यसुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक/एफ.एस.एस.ए/2016/1855 दिनांक 13/07/2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक,जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या/एल.एस../1587 /एक्ट/2016/2391 दिनांक 01/07/2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया ख़ाद्य पदार्थ बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू सबस्टेण्डर्ड (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। जिसकी सूचना विक्रेता को दी गयी किन्तु विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी ।उक्त प्रकरण में विक्रेता ने अवमानक (**Sub Standard**) खाद्य पदार्थ बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन में तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया हनुमान राव पुत्र प्रहलाद राव उम्र 40 वर्ष जाति राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर–मौके पर विक्रेता को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त ने उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के अर्न्तगत करने हेतु निवेदन किया । जिस क्रम में आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के अर्न्तगत उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

आवेदक ने आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बयान दर्ज कराते हुए बहस में कथन किया कि विक्रेता का फर्म का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू का शुद्धता हेतु नमूना लिया जाकर विधिक प्रकिया पूर्ण करते हुए नमूना परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक,जयपुर को

8/A

भिजवाये गये।खाद्य विश्लेषक जयपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट संख्या/एल.एस../1587 /एक्ट/2016/2391 दिनांक 01/07/2016में विक्रेता द्वारा उक्त **बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू** अवमानक (**Sub Standard**) प्रकृति का बताया गया है। नमूना अवमानक (**Sub Standard)** प्रकृति का पाया गया है ,को विक्रय करने का दोष बताया है। आवेदक ने बहस में यह भी तर्क दिया कि विक्रेता द्वारा विक्रय का कारोबार फर्म स्थल पर खाद्य पदार्थ **बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्डू** अवमानक स्तर का विक्रय किया जाता है जो खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 51 में निर्धारित है,के अनुसार शास्ति आरोपित की जावे।

अभियुक्त ने दौराने बहस निवदेन किया कि वह उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहता है। अभियुक्त ने अवगत कराया कि उसकी ग्राम में एक छोटी सी दुकान है। जिसके लिए वह बाजार में बेसन,घी,शक्कर,दूध आदि का क्रय कर मिठाईयों का निर्माण कर उनका बेचान करं अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अभियुक्त स्वंय लोक अदालत की भावना से अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन करता है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करे।

आवेदक की बहस सुनने ,आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त **हनुमान राव पुत्र प्रहलाद राव उम्र 40 वर्ष जाति राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर ने स्वयं अपना जुर्म स्वीकार किया है।** विक्रेता द्वारा अवमानक (**Sub Standard**) खाद्य पदार्थ **बेसन शक्कर व घी से निर्मित बेसन के लड्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होने पर उसें उक्त विनियम का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है।

अभियुक्त को उक्त आपराधिक कृत्य के दण्डके बिन्दु पर सुना गया। खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन के अन्तर्गत उक्तांकित आपराधिक प्रवृति का कृत्य कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं। अभियुक्त लघु व्यवसायी है व उसके द्वारा उक्त आपराधिक प्रवृति का अपराध प्रथम बार कारित किया जाना पाया जाता है। जिसे अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है एवं अभियुक्त उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक भावना से करवाना चाहता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 49 में अंकित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त **हनुमान राव पुत्र प्रहलाद राव उम्र 40 वर्ष जाति राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स गणपति मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर** खाद्यकारोबारकर्ता –मौके पर विक्रेता पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम '51व 52 के अन्तर्गत 5000 रूपये की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित की जाकर भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृति न करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः तथा विक्रेता (अभियुक्तगण) को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त अधिरोपित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर **न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर** के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को (यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को) परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/17

(श्याम मोहन शर्मा)
सदस्य

(भगवतसिंह देवल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर